

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 16817/22/वि-12/टी-3/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/2016
/ /2016

भोपाल, दिनांक 30/07/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई -

..... (म.प्र.)

विषय :- विश्व बैंक की सहायता से सी.एम.जी.एस.वाय., एम.पी.आर.सी.पी. के डी.पी.आर. के संबंध में।

—00—

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 16447/ विश्व बैंक/mprcp, dated 23/07/2016 द्वारा विश्व बैंक से परामर्श के उपरांत एमपीआरसीपी के डीपीआर बनाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों में कुछ इकाईयों एवं कंसल्टेंट के द्वारा कुछ बिन्दुओं पर खुलासा करने का अनुरोध आया है। तदनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं :-

1. प्राधिकरण में उपरोक्त निर्देशों के बिन्दु 9 के संबंध में जहां पर जी.एस.बी की संतोषजनक मोटाई उपलब्ध है, वहा पर निर्धारित कैम्बर, सुपर एलीवेशन बनाने तथा प्रोफाईल करेक्शन हेतु एसओआर आयटम निर्धारित करने की कार्यवाही प्रचलित है। प्रावधानिक रूप से ऐसे आयटमों के लिए निम्नलिखित अनुसार प्रावधान डीपीआर में किये जायें :-

S.No	Description	Unit	Rate
New Item	Loosening, levelling and compacting gravel surface to facilitate placement of first layer of WBM/Gravel course, scarifying original surface up to a depth of 150 mm, making proper camber, super elevation, maintaining required longitudinal and cross profile using suitable methods/procedures by equipments i.e with rollers of 80-100 KN static weight to achieve the desired density with using grader etc, mixing with water at OMC complete as per specifications and direction of Engineer-in-Charge." (Applicable on constructed CMGSY gravel roads for GSB portion only)	SqM	Rs. 5.40

इस आयटम का उपयोग करने पर पूर्व में डीपीआर टेम्पलेट में बिन्दु 2.5 में प्रोफाईल करेक्शन WBM G-2 की 10 प्रतिशत सीमा का प्रावधान निरस्त रहेगा।

2. प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 16447 दिनांक 23/07/2016 के बिन्दु क्रमांक (9) में उल्लेखानुसार Crushed Stone GSB से प्रोफाईल करेक्शन जिन मार्गों अथवा आंशिक लंबाई में किया जाना प्रस्तावित है, उन लंबाईयों में इसकी मात्रा की गणना हेतु कैरिजवे के सेंटर, Left 0.75m, Right 0.75m, Left 1.5m, Right 1.5m पर लेवल्स, प्रत्येक 25 मीटर लंबाई या आवश्यकतानुसार कम पर क्रॉस सेक्शन लेते हुए जीएसबी की मात्रा की गणना की जावे।

3. (i) मुख्यालय के पत्र क्रमांक 14484 दिनांक 27/06/2016 के बिन्दु क्रमांक 11 में ESMF Cost में पूर्व में प्रस्तावित के स्थान पर अब विद्युत लाईन/पोल शिफ्टिंग की लागत शामिल नहीं जावे। विद्युत लाईन शिफ्टिंग प्राक्कलन/लागत मार्ग की लागत में पूर्ववत् अवश्य शामिल रहेगा।
- (ii) इसी प्रकार उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 (i) के क्रम में डी.पी.आर. के फार्मेट -6 'Abstract of ESMF' में cost of electric line/pole shifting शामिल नहीं करना है।
- (iii) इसी प्रकार डीपीआर के फार्मेट - 1 (A) एवं 1 (B) में भी सभी प्रकार के यूटिलिटी एवं इलेक्ट्रिकल लाईन क्रॉसिंग का समावेश किया जावे।
4. पहाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित मार्गों में 3 मीटर या अधिक गहरी घाटी वाले भाग में घाटी तरफ स्थल पर आवश्यकतानुसार closure interval (approximate 1.00 to 1.50 m c/c) पर गार्ड स्टोन या ड्राय बोल्डर वॉल प्रस्तावित किया जाए।



(ए.डी. कपाले)

प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एम.पी.आर.सी.पी)
एवं प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल

क्रमांक 16818 /22/वि-12/टी-3/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा/2016 भोपाल, दिनांक 30/07/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक, (समस्त.....) मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षण यंत्री (तक) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक, तकनीकी समस्त मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रबंधक, आई.टी. मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र को MPRRDA की वेबसाइट के World Bank section में डालने हेतु।



प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एम.पी.आर.सी.पी)
एवं प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल